

दिनांक 18.11.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयदर्शन बिष्ट द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 33ब प्रस्तुत। सुना। न्याय हित में केवल आज के लिए स्वीकृत। गवाह उपस्थित नहीं। स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 33ब/1 अभियोजन की ओर से प्रस्तुत। सुना। न्याय हित में केवल आज के लिए स्वीकृत। अभियोजन अग्रिम नियत तिथि पर साक्ष्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 28.11.2023 को पेश हो।

(मौ० याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।